स्नातक प्रवेश सम्बन्धी नियम

स्नातक प्रवेश सम्बन्धी नियम

- महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शैक्षिक सत्र जून -जुलाई से प्रारम्भ हो जाती है जो 31 जुलाई तक पूर्ण कर ली जाती है, स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाओं में इस तिथि के बाद प्रवेश देय नही होगी।
- 2. प्रवेशार्थी को इंटरमीडिएट परीक्षा में कम से कम निम्नलिखित अंक अर्जित करना अनिवार्य है ।
  (अ) बी०ए० प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम 45% अंक

इस बात का सदैव ख्याल रखा जाता है कि छात्राओं के साथ किसी भी प्रकार का भेद-भाव न हो। परिसर रैगिंग से पूरी तरह मुक्त है। परिसर को साफ-सुथरा और हरा-भरा रखने में प्राचार्य-प्राध्यापकों की प्रेरणा और कर्मचारियों की मुस्तैदी यहाँ देखी जा सकती है।विभिन्न अवसरों पर छात्राओं की सहायता से स्वच्छता और वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित कराए जाते रहे हैं। गाँव की छात्राएँ तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

प्रवेश के समय वांछित सामग्री:

प्रवेश के समय वांछित सामग्री:

योग्यता की सूची में नाम आ जाने पर प्रवेशार्थी निम्नलिखित सामग्री तथा प्रमाण पत्रों के मूल प्रति लेकर अपने माता-पिता/अभिभावक के साथ निर्धारित तिथि तथा समय पर महाविद्यालय में उपस्थित हो।

- अंतिम कक्षा की अंकतालिका ।
- हाईस्कूल प्रमाण-पत्र ।
- जाति संबंधित प्रमाण-पत्र (केवल अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी)।
- अंतिम संस्था का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी०सी०) ।
- अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र ।
- आधारकार्ड की छायाप्रति ।
- दो नवीन फोटो ।

कक्षाओं में उपस्थिति :

कक्षाओं में उपस्थिति :

उ०प्र० शासन एवं निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र० एवं कुलपति विश्वविद्यालय के आदेशानुपालन में प्रत्येक विभागों की कक्षाओं में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति अनिवार्य है । 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रा की शासकीय सहायता (छात्रवृत्ति, शुल्क मुक्ति, निर्धन छात्रा सहायता कोष, बुक बैंक) एवं अन्य सहायता पर रोक के साथ विश्वविद्यालय परीक्षा से भी वंचित कर दिया जाएगा ।